न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/6446/2005/भीलवाडा

1. मु0 अलोल पुत्री रामनिवास पत्नी राधेश्याम तेली निवासी तेली मौहल्ला, भीलवाडा
2. मंजू पुत्री रामनिवास पत्नी द्वारकाप्रसाद जाति तेली निवासी मोतीपुरा (बालापुरा)
3. शंकर पुत्र रामनिवास
4. जगदीश पुत्र रामनिवास
5. मु. बदाम पत्नी रामनिवास
6. कल्याण पुत्र मोतीराम
7. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास
8. भैरूलाल पुत्र रामनिवास
9. रमेश कुमार पुत्र रामनिवास

समस्त जाति तेली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती अनार कंवर जोजे देबीसिंह यादव निवासी बेडर तहसील पाली
2. राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित

श्री मदनलाल गुर्जर, अपीलार्थीगण
श्री घनश्यामसिंह लखावत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 20.12.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व

अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी–प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के समक्ष प्रतिवादी रामनिवास व राज्य सरकार के विरूद्ध एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी घोषणा एवं हर्जाना का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम शाहपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 176 रकबा 02बीघा 10बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 01बीघा 14बिस्वा भूमि मु0 फुमा बेवा कालूसिंह यादव निवासी शाहपुरा के खाते व कब्जे की होकर दिनांक 09–03–1979 को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र मु0 फूमा ने वादिया को दान कर दी, जिस पर उसका कब्जा काश्त है। प्रतिवादी रामसिंह ने साजिश कर विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि वादिया उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार की हैसियत से अपना नाम अंकन कराने की अधिकारी है। प्रतिवादी ने दिनांक 20–7–1986 को विवादित आराजीको हांक डाला, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। अतः वादिया का वाद उक्तानुसार डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर मूल वादपत्र में दो तनकीयात कायम कर उभयपक्षों की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त् उभयपक्ष की बहस सुनकर कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–04–1996 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी रामनिवास की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–02–1997 से स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना

में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया तथा प्रतिवादीगण संख्या–4 से 6 की ओर से जवाबदावा पेश किया। तत्पश्चात् अधिवक्ता वादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 पेश कर कथन किया कि मुकदमा संख्या 35/1997 व 232/1996 एक ही भूमि बाबत् विचाराधीन है, जिन्हे एकसाथ कर दोनों दावों की सुनवाई एक साथ की जावे, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर आदेश दिनांक 18–07–2002 से प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर वादी संख्या 35/1997 के साथ वाद संख्या 232/1996 संलग्न किये जाने के आदेश पारित किये। तत्पश्चात् दावे एवं जवाबदावे के आधार पर दिनांक 4–9–2002 को चार तनकीयात कायम की गयी। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री 28–07–2003 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम शाहपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 176 रकबा 02बीघा 10बिस्वा, 197 रकबा 01बीघा 14बिस्वा कुल किता 02 रकबा 04बीघा 04बिस्वा भूमि मृतक कालूसिंह के विधिक वारिसान वादिया व अन्य दो बहिने सुगन कंवर, सुशील कंवर, व रामसिंह सभी का उक्त भूमि में 1/4–1/4 हक था, जिसमें रामसिंह को केवल अपना हक 1/4 ही बैचने का अधिकार था, जबकि उसके द्वारा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण को बेचकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1847 दिनांक 28–10–1986 को खोला गया, जिसे निरस्त किया जाता है। वादिया व अन्य दो बहिने सुगनकंवर, सुशील कंवर प्रत्येक को कुल किता 2 रकबा 04बीघा 04बिस्वा में 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे तथा इसी अनुरूप प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने

अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–09–2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिप्रेषित निर्णय दिनांक 18–02–1997 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है तथा अपीलार्थीगण को सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया। उनका कथन है कि वाद संख्या 35/1997 वादिया प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत गया गया तथा वादी संख्या 232/1997 वादिया एवं उसकी बहिनों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उपखण्ड अधिकारी ने वाद संख्या 323/1997 पर न तो कोई तनकीयात कायम की, ना ही उक्त वाद को निर्णीत किया गया। इस प्रकारवादिया के वाद में जो रिलीफ वादिया द्वारा चाही गयी थी वह नहीं दी जा सकती क्योंकि वादिया का वाद भ्रमात्मक व गलत तथ्यों पर आधारित था। उनका कथन है कि वादिया ने तनकी संख्या–1 को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। उनका कथन है कि वादिया जिस बख्शीशनामे के आधार पर वाद लेकर आई है, उस बाबत् विचारण न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया। उनका कथन है कि पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर विक्रय की गयी भूमि के विक्रयपत्र को राजस्व न्यायालय को अवैध ठहराने का अधिकार नहीं है। वादिया द्वारा न तो पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तत की, ना ही पंजीकृत विक्रयपत्र को निरस्त कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही की गयी है। उनका कथन है कि वादिया का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा, कब्जे की दादरसी के अभाव में वादिया का वाद संधारण योग्य नहीं था। उनका

कथन है कि वादिया ने बख्शीशनामें के आधार पर विवादित आराजी पर अकेले को खातेदार घेाषित करने का अनुतोष चाहा जबकि वादिया की अन्य बहिने भी है जिन्हाने बख्शीशनामें को निरस्त कर उनका हिस्सा घोषित किये जाने की कोई प्रार्थना नहीं की गयी ऐसी स्थिति में जब तक बख्शीशनामें को निरस्त नहीं किया जाता वादिया की अन्य बहिनों को विवादित आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिकथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर वादिया प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओरसे प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। उनका कथन है कि मूल खातेदार कालूसिंह के अनारकंवर सहित दो ओर लडकियां तथा रामसिंह पुत्र था। रामसिंह के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण मूल खातेदार कालूसिंह की बेवा फुतमा ने जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 9–3–1979 को विवादित आराजी उनके पक्षकार को दान कर दी, तब से विवादित आराजी वह विवादित आराजी की खातेदार है। उनकाक थन है कि रामसिंह को दान की दिनांक के बाद विवादित आराजी में न तो कोई अधिकार था ना ही वह विवादित आराजी का विक्रय कर सकता था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी में कालूसिंह के समस्त वारिसान के नाम 1/4–1/4हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक

अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नही है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण क्रेतागण तथाकथित विक्रयपत्र के आधार पर अधिक से अधिक 1/4 हिस्सा ही पाने के अधिकारी है तथा वह भी तब प्राप्त कर सकते है जब वे बंटवारा कराते है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिनमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारीज किया जाये।

6. हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारिकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2037 लगायत 2040 के अनुसार मूल खातेदार कालूसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा मूल खातेदार के वादिया अनार कंवर के साथ सुगनकंवर, सुशीलकंवर दो पुत्रियां एवं एक पुत्र रामसिंह तथा विधवा फूमा थी। मूल खातेदार कालूसिंह की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी सभी वारिसान में 1/5–1/5बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए तथा विधवा फूमा की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी शेष सभी वारिसान के नाम 1/4–1/4 हिस्से अनुसार दर्ज होगी। मूल खातेदार के पुत्र रामसिंह द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र से शेष अन्य वारिसान अपने हिस्से से वंचित हो गये जबकि उसे 1/4 हिस्सा ही बेचने का अधिकार था। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विवादित आराजी

को मृतक कालूसिंह की पुश्तैनी भूमि होना मानते हुए तथा कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद को आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम शाहपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 176 रकबा 02बीघा 10बिस्वा, 197 रकबा 01बीघा 14बिस्वा कुल किता 02 रकबा 04बीघा 04बिस्वा भूमि मृतक कालूसिंह के विधिक वारिसान वादिया व अन्य दो बहिने सुगन कंवर, सुशील कंवर, व रामसिंह सभी का उक्त भूमि में 1/4–1/4 हक था, जिसमें रामसिंह को केवल अपना हक 1/4 ही बैचने का अधिकार था, जबकि उसके द्वारा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण को बेचकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1847 दिनांक 28–10–1986 को खोला गया, जिसे निरस्त किया जाता है। वादिया व अन्य दो बहिने सुगनकंवर, सुशील कंवर प्रत्येक को कुल किता 2 रकबा 04बीघा 04बिस्वा में 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे तथा इसी अनुरूप प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने

पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर तनकीवार विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–09–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–07–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य